ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07. 04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अवैरी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री कुशल कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत अवैरी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप	0.54

		रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना ।	
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।	38.23
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना।	0.30
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे ।	0.05
5	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.22
6	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	4.34

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। संस्था द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4	अनिर्णीत
3	5	अनिर्णीत ।
4	6.1	अनिर्णीत ।
5	6.2	अनिर्णीत ।
6	7	अनिर्णीत ।

7	8	अनिर्णीत ।
8	9	अनिर्णीत ।
9	10	अनिर्णीत ।
10	11	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
11	12	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
12	13	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.01.2024 से 29.01.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03/2022	10/2021
2022–23	03/2023	10/2022

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा

परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत अवैरी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	नवनिर्मित पंचायत हेतु हस्तांतरण राशि	अन्तिम शेष
2021–22	450843.14	420361.00	531339.00	1402543.14	272305.00	191987.00	938251.14
2022–23	938251.14	178849.00	33160.00	1150260.14	632928.00	0	517332.14

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत अवैरी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	नवनिर्मित पंचायत हेतु हस्तांतरण राशि	अन्तिम शेष
2021–22	4416753.00	4544043.00	112363.00	9073158.00	3674596.45	1275946.00	4122615.55
2022–23	4122615.55	3762188.00	77231.55	7962035.10	4139041.00	0	3822994.10

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,SBM,MPLAD,

A/c No. 20016006642	KCCB Baijnath	862912.4
A/c No. 50051701196	KCCB Baijnath	18609
A/c No. 50051700089	KCCB Baijnath	251473.6
A/c No.5005169992	KCCB Baijnath	36290
A/C No. 50051701209	KCCB Baijnath	227589.3

A/C No. 50100385499780	HDFC Baijnath		2934572
A/c No. 50100358216144	HDFC Baijnath		61379.3
A/c No 50100260167688	HDFC Baijnath		2
cash in hand			1873
		Total	4394701

Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)		517332.1
Cash Book Balance on 31.03.2023 5th State F.		328360
Cash Book Balance on 31.03.2023 VKVNY		237595.6
Cash Book Balance on 31.03.2023 14th FC		2
Cash Book Balance on 31.03.2023 15th FC		2934572
Cash Book Balance on 31.03.2023 SBM		227589
Cash Book Balance on 31.03.2023 SDP		80997.25
Cash Book Balance on 31.03.2023 MPLAD		13878
	Total	4340326
	diffrence	54374.5

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.54 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹54,375/— पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 44 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है,

अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । अंकेक्षणावधि में पंचायत की सभा निधि में **₹**4,50,843/– से **₹**5,17,332/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48 दिनांक 29.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत निधि खाता में बचत राशि को भविष्य में सावधि में निवेश किया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹38.23 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹38,22,994/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में ₹50/– व 2022–23 में ₹100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹29,840/–(सम्पत्ति कर ₹7,340/– व दुकान किराये ₹22,500/–) वसूली हेतु शेष थाः–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	42840	22500	65340	58200	7140
2022–23	7140	45000	52140	44800	7340

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 29.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹7,340/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु चार दुकानें किराये पर दी थी परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त दुकान किराये के अनुबन्ध पत्र तैयार नही किये गये थे, जबकि अनुबन्ध पत्र बनाये जाने अपेक्षित थे । अतः पंचायत हितों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध पत्र तैयार करके नियमानुसार किराये की बढौत्तरी हेतु शर्त को भी लगाया जाना सुनिश्चित करें ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 47 दिनांक 29.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे व बकाया राशि ₹22,500/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी तथा अनुबन्ध पत्र तैयार करके आगामी अकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**दुकान किराये की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021–22	23000	72000	95000	86700	8300
2022–23	8300	72000	80300	57800	22500

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से वसूल करने उपरान्त समय–समय पर विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत अवैरी द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्रम संख्या	वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	2500
2	2022–23	2000

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 29.01.2024 के अन्तर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क को पंचायत निधि से निकाल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त/संग्रहित राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को

सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.22 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित अनियमित/अधिक भुगतानः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹22,286.00 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 29.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 22,286.00 के अनियमित भुगतान को या तो पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाया जाये तथा तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके मामले का निपटारा करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	230	6.51	1.62	10.54	60	632.00
	बजरी	120	3.39	1.52	5.15	60	309.00
	ईटें 8400 नं0						420.00
						कुल :	**1361.00**
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	2050	58.05	1.62	94.04	80	7523.00
	बजरी	1835	51.96	1.52	78.97	80	6318.00
	बोल्डर		10.00	2.24	22.40	80	1792.00
	ईटें 16700 नं0						835.00
						कुल :	**16468.00**
				कुल 2021–22 व 2022–23			**17829.00**
					पैनल्टी 25 %		4457.00
					कुल योग:		**22286.00**

9. **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹4.34 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹4,33,646/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री के माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50 दिनांक 29.01.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया

गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 31.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना व्यय करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये क्रय/व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
28, 26.08.21	बिल नं0 328 दि0 18.08.21, शान्ति ट्रेडर्ज	सैनिटरी फिटिंग	22561.00	नि0 पंचबटी पार्क कुकैना SBM
32, 06.09.21	बिल नं0 346 दि0 25.08.21, शान्ति ट्रेडर्ज	एन्गल, टीन शीट	66675.00	नि0 जाग्रति महिला मण्डल भवन SDP
38, 12.10.21	बिल नं0 1500 दि0 08.10.21, ग्रोवर एल्मूनियम	दरवाजे	14396.00	नि0 पंचबटी टायलेट SBM
19, 09.08.21	बिल नं0 296 दि0 06.08.21 शान्ति ट्रेडर्ज	एन्गल इत्यादि	26147.00	अपवर्धन पंचायत घर 14th FC
20, 23.08.21	बिल नं0 307 दि0 10.08.21 शान्ति ट्रेडर्ज	सरिया	70581.00	अपवर्धन पंचायत घर 14th FC
07, 08.06.22	बिल नं0 215 दि0 26.05.22 शान्ति ट्रेडर्ज	सरिया	71817.00	नि0 महिला मण्डल भवन वार्ड नं0 6 15th FC
27, 14.10.22	बिल नं0 763 दि0 02.10.22 शान्ति ट्रेडर्ज	पाईपें	12982.00	नि0 पुल नजदीक महिला मण्डल भवन

				15th FC
02, 10.06.22	बिल नं0 242 दि0 31.06. 22 शान्ति ट्रेडर्ज	सरिया	62117.00	नि0 कमरे रा0व0मा0पा0 अवैरी MPLAD
10, 23.12.22	बिल नं0 1019 दि0 19. 11.22 शान्ति ट्रेडर्ज	सरिया	86370.00	नि0 कमरे रा0व0मा0पा0 अवैरी MPLAD
			433646.00	

10. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34

4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

11. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14. **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
2347-2351 का०/50 06 JUN 2021 हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)176/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अवैरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Averi" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Fund transfer to newly created panchayat	Closing Balance
2	5 SFC	359980	341940	533	702453	355090		347363
3	VKVNY	19141	200000	4283	223424	0		223424
4	14TH FC	3830049	0	51110	3881159	1937617	1275946	667596
5	15TH FC	0	2392469	52567	2445036	137597.7		2307438
7	SBM	174541	200000	3869	378410	85648		292762
9	SDP	32371	446000	0	478371	195009.75		283361.3
11	MPLAD	671	0	0	671	0		671
13	MNREGA	0	963634	0	963634	963634		0
	Total Rs.	4416753	4544043	112362	9073158	3674596.45	1275946	4122616

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Averi" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure		Closing Balance
2	5 SFC	347363	332400	537	680300	351940		328360
3	VKVNY	223424	0	14171.55	237595.55	0		237595.6
4	14TH FC	667596	45000	2223	714819	714817		2
5	15TH FC	2307438.3	1654295	53318	4015051.3	1080479		2934572
7	SBM	292762	0	6982	299744	72155		227589
9	SDP	283361.25	46000	0	329361.25	248364		80997.25
11	MPLAD	671	500000	0	500671	486793		13878
13	MNREGA	0	1184493	0	1184493	1184493		0
	Total Rs.	4122615.55	3762188	77231.55	7962035.1	4139041		3822994

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, ~~Relief~~,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,~~MMP~~,MPLAD, SBM

A/c No. 20016006642	KCCB Baijnath	
A/c No. 50051701196	KCCB Baijnath	862912.4
A/c No. 50051700089	KCCB Baijnath	18609
A/c No.5005169992	KCCB Baijnath	251473.6
A/C No. 50051701209	KCCB Baijnath	36290
A/C No. 50100385499780	HDFC Baijnath	227589.3
A/c No. 50100358216144	HDFC Baijnath	2934572
A/c No 50100260167688	HDFC Baijnath	61379.3
cash in hand		2
	Total	1873
		4394701

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		
Cash Book Balance on 31.03.2022		517332.1
Cash Book Balance on 31.03.2022		328360
Cash Book Balance on 31.03.2022		237595.6
Cash Book Balance on 31.03.2022		2
Cash Book Balance on 31.03.2022		2934572
Cash Book Balance on 31.03.2022		227589
Cash Book Balance on 31.03.2022		80997.25
		13878
		0
	Total	4340326
	diffrence	-54374.5

ग्राम पंचायत ... जि. ... बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र.

Financial Position of Own sources in r/o GP Averi

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Fund transfer to newly created panchayat	Closing Balance
2021-22	450843.14	420361	531339	1402543.14	272305	191987	938251.14
2022-23	938251.14	178849	33160	1150260.14	632928		517332.14

ग्राम पंचायत (अवेरी)
जि. प. ... (कोरपना) जि...

(अभिलेख परिशिष्ट... handwritten)

Name of Panchayat Averi Dev.Block Baijnath

Year 2021-22

Sr No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No and Date	Bill No and Date	Sand (CFT)	Bajri(CFT)	Boulder(CFT)	Briks (Nos)	Amount
1	Construction of Soak pit Grabage pit ward no 1to 9	14FC	Nikhil Enterprises	VR no 32 dt.08/11/2011	147-Dt 30-07-21	230 cft	120cft	0	8400 nos	**82518**
					Total	230 cft	120 CFT			
	Year 2022-23									
2	Construction of Soak pit Grabage pit ward no 1to 9	14 FC	Nikhil Enterprises	VR no 4 dt. 20/06/2022	184 Dt 02-05-2022	140 cft	50 cft	0	6000	63790
3	Construction of Two rooms GSSS Averi	MPLADS	Nikhil Enterprises	VR no 6 Dt 20-07-2022	188 Dt 12-07-2022	300cft	300cft	0	0	29925
				VR no 9 Dt 07-09-2022	195 Dt 28-07-2022	300cft	200cft	0	0	41895
				VR no 4 Dt 07-09-2022	197 Dt 06-10-2022	300cft	300cft	3 Qubic miter	0	34411
				VR no 11 Dt 06-02-2022	218 Dt 06-02-2023	0	0	7 Qubic miter	0	10474
4	Construction of Radha Krishan Mahila mandal bhawan Averi ward no 3	SDP	Nikhil Enterprises	VR no 6 Dt 20-06-2022	183 Dt 30-04-2022	200 cft	20 cft	0	5000	56756
		SDP	Nikhil Enterprises	VR no 10 Dt 13-10-2022	199 Dt 30-08-2022	50 cft	90 cft	0	0	6783
5	Construction of Bridge over Nalla near mahila mandal bhawan ward no 4	XVFC	Nikhil Enterprises	VR no 11 Dt 23-06-2022	186 Dt 30-05-2022	200 cft	400 cft	0	0	28927
		XVFC	Nikhil Enterprises	VR no 25 Dt 13-10-2022	194 Dt 14-07-2022	100 cft	150 cft	0	0	12219
6	C/o Path with Interlock Viyasa Devi house to Kushma Devi house side	XVFC	Nikhil Enterprises	VR no 28 Dt 14-10-2022	196 Dt 01-08-2022	150 cft	25cft	0	0	9351
	Construction of mahila mandal Bhawan ward no 7	Own Res	Nikhil Enterprises	VR no 24 Dt 24-06-2022	185 Dt 27-05-2022	200 cft	300 cft	0	200	26234
		Own Res	Nikhil Enterprises	VR no 47 Dt 06-10-2022	198 Dt 20-08-2022	110cft	0	0	5500	55411
						2050 CFT	1835 cft	10 Qubic miter	16700	

19

Kushal
प्रधान ग्राम पंचायत अवेरी
वि. ख. बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र.